

छत्तीसगढ़ विधान सभा  
पत्रक भाग-दो

क्रमांक - 57

बुधवार, दिनांक 26 अगस्त 2020 (भाद्रपद 4, 1942)

कार्यमंत्रणा समिति का दशम प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2020 में लिये गये

निर्णय अनुसार वित्तीय कार्य एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित सिफारिश को सदन द्वारा बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई :-

1. वित्तीय कार्य - निर्धारित समय

वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक की अनुदान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण के लिए निर्धारित समय - 3 घंटे।

2. संकल्प -

संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने संबंधी संकल्प। 1 घंटा

3. विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020. 15 मिनट
2. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020. 15 मिनट
3. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020. 15 मिनट
4. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020. 30 मिनट
5. छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020. 1 घंटा
6. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020. 15 मिनट
7. छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020. 15 मिनट
8. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020. 15 मिनट
9. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020. 15 मिनट
10. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020. 15 मिनट
11. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020. 15 मिनट

चन्द्र शेखर गंगराड़े  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा